

संचालनालय, गैस राहत एवं पुनर्वास, 1 शिवाजी नगर, भोपाल

क्रमांक: एफ 17/सं.नि./2026/ 1898

भोपाल, दिनांक 07/07/2026

**चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति हेतु
आवेदन की अंतिम तिथि 31.07.2026**

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाईयों में चिकित्सा अधिकारियों (एम.बी.बी.एस.) के रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र कार्यालय, संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, हमीदिया अस्पताल परिसर, भोपाल 462001 से विज्ञापित प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 31.07.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

आवेदन प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रु. 500/- (रु. पाँच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए रु. 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) का चालान संचालनालय, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश की अधिकृत वेबसाइट साईबर ट्रेजरी Link- <https://mptreasury.gov.in/MPCTP/> के माध्यम से विभाग 47 Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Head Of Account- 0235-01-800-0099- Other Recipients-Other Miscellaneous receipts में राशि जमा कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय, संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, हमीदिया अस्पताल परिसर, भोपाल 462001 में दिनांक 31.07.2026 सायं 5:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र भी निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी डाक विलम्ब के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(1) चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं (जिनमें कमी या वृद्धि हो सकती है):-

संविदा पारिश्रमिक	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	वर्गवार रिक्त पदों की संख्या			कुल रिक्त पद
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
रु 88,506/- प्रतिमाह	भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी. बी.एस की उपाधि एवं मध्यप्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीयन।	08	25	17	50

(2) आयु:- संविदा नियुक्ति के लिए उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमें नियुक्ति की जाना है, न्यूनतम और अधिकतम आयु-सीमा 21 वर्ष और 65 वर्ष होगी।

(3) सेवा निवृत्त शासकीय सेवक की नियुक्ति-सेवा निवृत्त चिकित्सक यदि आयु तथा अन्य अर्हता रखते हैं तो वे भी संविदा नियुक्ति के लिए हकदार होंगे।

- (4) निरर्हता-कोई भी अभ्यर्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ था।
- (5) संविदा नियुक्ति की कालावधि एवं पदस्थापना- संविदा चिकित्सक की संविदा की कालावधि नियुक्ति दिनांक से अधिकतम दो वर्ष होगी।
- (6) चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदंड:- (1) स्नातक उपाधि (प्राप्त अंकों का भरांश अनुपात में) 65 अंक, (2) स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक, डिप्लोमा के लिए 05 अंक (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक डिग्री एवं 01 अंक डिप्लोमा), (3) एन.सी.सी.का 'सी' प्रमाण पत्र अथवा एन.एस.एस.का प्रमाण पत्र 05 अंक, (4) पुरुष खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी जिसने विश्वविद्यालय स्तर पर या राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो 05 अंक, (5) किसी चिकित्सा संस्था में चिकित्सक के रूप में अनुभव (अधिकतम 05 अंको के अध्यायाधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक) 05 अंक एवं (6) साक्षात्कार 10 अंक।
- (7) पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्र व्यवहार के पते पर दी जाएगी तथा साक्षात्कार पश्चात् उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्राप्तांकों की अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट WWW.bgttrd.mp.gov.in पर किया जाकर निर्धारित समय सीमा में दावा/आपत्तियाँ प्राप्त की जाकर दावा/आपत्तियों के निराकरण पश्चात् अंतिम मेरिट सूची, चयनित सूची व प्रतीक्षा सूची उक्त विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

नियुक्ति की अन्य शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रूपए 500/- (रूपए पाँच सौ मात्र) के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय, चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।
2. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर 15 दिवस में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी।
3. संविदा चिकित्सक का चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण तुरन्त रद्द कर दी जाएगी।
4. संविदा चिकित्सक द्वारा प्रथम मास के लिए संविदा पारिश्रमिक प्राप्त करने के पूर्व, संविदा चिकित्सक स्वयं अपने खर्च पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी, तत्पश्चात् ही वेतन आहरण किया जाएगा। सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को भी, यदि वे संविदा चिकित्सक के रूप में नियुक्त किए जाएं, ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।
5. साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। सत्यापन के समय यदि कोई भी दस्तावेज पूर्ण/सही नहीं पाया जाता है तो उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी समय यदि कोई भी अभिलेख असत्य या छिपाए हुए पाए जाते हैं तो संबंधित की संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जाएगी व संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. संविदा चिकित्सक शासकीय सेवा में नियमितिकरण के लिए हकदार नहीं होंगे और न ही भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर किसी भी प्रकार के नियमितिकरण का दावा कर सकेंगे।

8. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय पर एक माह पूर्व सूचना या एक माह का संविदा पारिश्रमिक का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
9. संविदा चिकित्सक बिना किसी विशिष्ट कारण के बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो, उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।
10. संविदा चिकित्सक एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। महिला संविदा चिकित्सक, जिसकी दो से कम जीवित संतान हों अधिकतम 180 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ संबंधित चिकित्सालय प्रमुख में निहित होंगी।
11. संविदा चिकित्सक उसकी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि भी देय नहीं होगा।
12. संविदा चिकित्सक को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल के अनुसार चिकित्सालय में प्रातः/दोपहर/रात्रिकालीन ड्यूटी देनी होगी। अवकाश दिवस में ड्यूटी एवं रात्रिकालीन ड्यूटी का आफ संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमानुसार दिया जावेगा।
13. संविदा चिकित्सक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संविदा नियम-2003 में निहित व समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित किए गए अन्य प्रावधानों के भी अधीन होगा।
14. यह नियुक्ति विशिष्ट चिकित्सा इकाई के लिए होगी, लेकिन विभाग अंतर्गत अन्य चिकित्सालयों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

Digitally signed by

Rakesh Bajaj

सहायक संचालक Date: 07-07-2026

गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, भोपाल